न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 137 / 2014

1 लच्छी देवी स्त्री तुलछा।
2 बृजमोहन पुत्र तुलछा समस्त जाति जाट निवासीगण बठोठ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 पदमाराम पुत्र कानाराम।
2 उमाराम पुत्र कानाराम।
3 मेघाराम पुत्र कानाराम।
4 बाली देवी स्त्री रूघनाथ।
5 रामस्वरूप आयु 19 वर्ष पुत्र रूघनाथ।
6 विकास आयु 18 वर्ष पुत्र रूघनाथ।
7 भगवानी देवी स्त्री धन्नाराम।
8 दोलाराम पुत्र धन्नाराम।
9 नेमीचन्द पुत्र धन्नाराम।
10 रूकमणी स्त्री डूंगाराम।
11 केशरदेव पुत्र डूंगाराम।
12 पूर्णा पुत्र रामू समस्त जाति जाट निवासीगण बठोठ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
13 भूमिधारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
14 हल्का पटवारी बठोठ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
15 उप पंजियक महोदय लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

16 शेखावाटी ग्रामीण बैंक शाखा बठोठ तहसील लक्ष्मणगढ़ जरिये मैनेजर प्रबन्धक।

17 भूमि विकास बैंक शाखा लक्ष्मगणढ़ जरिये मैनेजर/प्रबन्धक।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 24.09.2014
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़
बसिलसिले आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी
पदमाराम बनाम उमाराम अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान टिनेन्सी एक्ट मुकदमा नम्बर 6/2006
अपील अन्तर्गत धारा 225 राज. टिनेन्सी एक्ट।

उपस्थिति :

1. श्री लक्ष्मण सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 23.02.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा संख्या 06/2006 मे पारित निर्णय दिनांक 24.09.2014 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय मे प्रार्थी रेस्पोडेंट पदमाराम ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 66,310 व 15 वाके ग्राम बठोठ बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

से आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील अप्रार्थी की और से प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट के पति व पिता तुलछा के पिता अर्जुन की विरासत के आधार पर जरिये नामान्तकरण संख्या 292 विवादित आराजियात के 1/3 भाग की खातेदारी तुलछा पिता अर्जुन के हक में स्वीकार की गई थी जिसका अंकन जमाबंदी संवत 2027 से 2030 में अंकित है। उक्त नामान्तकरण स्वीकार होने के करीब 30–32 साल बाद तुलछा की मृत्यु होने पर तुलछा की विरासत का नामान्तकरण जो कानूनन अपीलांट के हक में किया जाने योग्य है उसे न करने का आदेश जो अधिनस्थ न्यायालय ने पारित किया है वह सर्वथा विरूद्व कानून है। विरासत कानूनन खातेदारी की मृत्यु होने के क्षण से ही उसके उतराधिकारियों को प्राप्त हो जाती है। तुलछा की विरासत तुलछा के वारिसान अपीलांट के हक में अंकित होने से रेस्पोडेंट को किसी किस्म की क्षति होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है बल्कि तुलछा के हक की विरासत अपीलांट के हक में दर्ज नही होने से अपीलांटस को अपूरणीय क्षति होती है तथा रेस्पोडेंट किसी किस्म की क्षति व असुविधा होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। यदि अधिनस्थ न्यायालय यह मानते कि विक्रय हस्तान्तरण करने से प्रकरण एक पक्ष अपीलांट/अप्रार्थीगण के हक में झुक जाता है तो उन्हे ज्यादा से ज्यादा स्थानान्तरकरण न करने हेतु पाबन्द किया जा सकता था। अपीलांट के पति व पिता तुलछा स्व0 अर्जुन का दतक पुत्र होने का प्रर्याप्त दस्तावेजी सबूत जैसे राशनकार्ड, वोटर लिस्ट मतदाता पहचान पत्र आदि पत्रावली पर होते हुये व इनका अवलोकन किए बिना ही योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने तुलछा की विरासत का नामान्तकरण ने भरे जाने की आज्ञा पारित करने में कानूनी गलती की है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपीलांट के पति व पिता स्व. तुलछा को अर्जुन का दतक पुत्र न होने के आधार पर दावा किया है गोद के बिन्दु को तय करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

को है इस प्रकार दावा व आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा चलने योग्य नही है। अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण 1 लगायत 14 के पूर्वज के तीसरे पुत्र अर्जुन का नाम राजस्व प्रलेख में जरिये नामान्तकरण नोट नम्बर 225 दिनांकित 14.11.1971 को दर्ज कर राजस्व प्रलेख संशोधित किया गया जिसके मुताबिक राजस्व प्रलेख पूर्वज झाबर के तीनों पुत्र कमशः रामू, अर्जुन, काना का समान 1/3 हिस्सा मुताबिक राजस्व प्रलेख बिल्कुल सही व दुरूस्त बना हुआ था। अर्जुन अविवाहित व मानसिक रूप से विक्षिप्त था जो अपनी अल्प अवस्था में ही फौत हो चुका। मृतक अर्जुन का नाम वादग्रस्त कृषि आराजियात का हिस्सा 1/3 समान रूप से रामू व काना के हक में संशोधन होकर जाना था किन्तु राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से जरिये नामान्तरण नोट नम्बर 259 दिनांकित 09.08.1973 को मृत अर्जुन का 1/3 हिस्सा अकले रामू के हक में दर्ज किया गया जो पूरी तरह से शून्य एवं प्रभावहीन है। वादग्रस्त आराजियात बाबत राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से जरिये नामान्तकरण नोट नम्बरी 259 दिनांकित 09.08.1973 को बिना समक्ष न्यायालय से निरस्त करवाये बिना ही दुबारा गलत, अवैध, शून्य नामान्तकरण नोट जिसमें अर्जुन अविवाहित विक्षिप्त था जिसने किसी गोद नही लिया अपनी मनमर्जी से प्रभावहीन नामान्तकरण भरकर अर्जुन का दत्तक तुलछा को बना डाला जो नामान्तकरण नोट नम्बर 259 की आड़ में शून्य है। अप्रार्थीगण आपस में साज किये हुये है एवं बाला–बाला अप्रार्थीगण संख्या 16 के चक्कर लगा रहे है तब पता चला की अर्जुन की खातेदारी तुलसा के चढ़वाली थी जो अब तुलसा के उत्तराधिकारियों के नाम चढ़वा रहे है तब वादी ने जानकारी होने पर तुरन्त गलत विरासत का विरोध किया तथा जिनको राजस्व प्रलेख दुरूस्त करवाने को दिनांक 28.01.2006 को कहा तो पहले तो हां कर दी किन्तु दिनांक 29.01.2006 को स्पष्ट रूप से इन्कार हो गये व खुल्ले आम धमकी दे डाली की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

मृतक तुलसा की विरासत भरवाकर उसकी हिस्से की भूमि को बेचान कर डालेगें तथा अप्रार्थीगण 1 लगायत 14 तभी से सकिय है और अप्रार्थी संख्या 16 के पास चक्कर लगा रहे इसमें यदि सफल हो गये तो प्रार्थी के विधिक अधिकार पूरी तरह से आक्रमणग्रस्त हो जायेगें। अप्रार्थीगण चूनौतिग्रस्त नामान्तकरण की आड़ में मृतक तुलसा की विरासत खोलने में सफल हो गये तो विवादित कृषि भूमियों को गलत विरासत के आधार पर बैचान कर डालेगें इस बाबत खुल्ले आम ऐलानियां धमकी दे रहे कि तुलसा की विरासत खुलवाकर बेचान कर डालेगें। विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों की विवेचना कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से मृतक खातेदार तुलछा के नाम दर्ज 1/3 हिस्से के रिकार्ड को यथावत रखने के आदेश दिये है अर्थात तुलछा की विरासत का नामान्तकरण दर्ज करने पर अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की है। अपीलांट का कथन है कि विरासत कानूनन खातेदारी की मृत्यु होने के क्षण से ही उसके उतराधिकारियों को प्राप्त हो जाती है। तुलछा की विरासत तुलछा के वारिसान अपीलांट के हक में अंकित होने से रेस्पोडेंट को किसी किस्म की क्षति होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है बल्कि तुलछा के हक की विरासत अपीलांट के हक में दर्ज नही होने से अपीलांटस को अपूरणीय क्षति होती है तथा रेस्पोडेंट किसी किस्म की क्षति व असुविधा होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट के पति व पिता तुलछा स्व0 अर्जुन का दतक पुत्र होने का पर्याप्त दस्तावेजी सबूत जैसे राशनकार्ड, वोटर लिस्ट मतदाता पहचान पत्र आदि पत्रावली में उपलब्ध है इसके खण्डन में प्रार्थी रेस्पोडेंट की और से कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है। पक्षकारो के हितो का निर्धारण मूल वाद में होना है इससे पूर्व विरासत का नामान्तकरण दर्ज किये जाने पर किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाना विधि सम्मत प्रतीत नही होता है। पक्षकारो के मध्य वाद बाहुल्यता

उप खण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

नही हो एवं विवादित भूमि खुर्द बुर्द नही हो इससे रोकने के लिये विवादित भूमि के बेचान पर विचारण न्यायालय को अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करनी चाहिए थी। ऐसा नही कर विचारण न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटि की गई है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं उभयपक्ष को वाद के निस्तारण तक विवादित भूमि के बेचान नही करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। विरासत के नामान्तकरण दर्ज करने पर किसी प्रकार का स्थगन प्रभावी नही रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर